

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10430 / 3897

दिनांक :- 19-07-

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री रीतु सिंहानिया [लिंक न. 10430] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर - [1288] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 25/09/2018 से 28/09/2018 तक 4 दिवस

(दिनांक 29.09.2018 से 30.09.2018 तक के अनुवर्ती राजकीय अवकाश सहित)

दिनांक 13/05/2019 से 29/05/2019 तक 17 दिवस

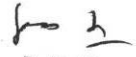
(दिनांक 11.05.2019 से 12.05.2019 तक के पूर्ववर्ती राजकीय अवकाश सहित)

दिनांक 10/06/2019 से 26/06/2019 तक 17 दिवस

(दिनांक 08.06.2019 से 09.06.2019 तक के पूर्ववर्ती राजकीय अवकाश सहित)

कुल 38 दिवस

उक्त कुल 38 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती / सुश्री रीतु सिंहानिया की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10430 / 3897

दिनांक :- 19-07-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर
2. कोषाधिकारी उदयपुर
3. श्री/श्रीमती / सुश्री रीतु सिंहानिया [10430] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित प्रभावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)